रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 645] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 20, 2015/आश्विन 28, 1937
No. 645] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 20, 2015/ASVINA 28, 1937

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2015

सा.का.नि. 792(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9 (ख) की उप-धारा (5) और (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनन पट्टा अथवा पूर्वेक्षण अनज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा धारक द्वारा, स्वामिस्व के अतिरिक्त, उस जिले, जिसमें खनन संक्रियाएं की जाती हैं, में संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा स्थापित जिला खनिज संस्थान में संदाय किए जाने वाली रकम विनिर्दिष्ट करने वाले निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और आरंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान तथा खनिज (जिला खनिज संस्थान में अभिदाय) नियम, 2015 है।

(2) ये नियम राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हुए माने जाएंगे।

2. **जिला खनिज संस्थान को अभिदाय की जाने वाली रकम.**—प्रत्येक खनन पट्टा अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा का धारक, स्वामिस्व के अतिरिक्त, उस जिले, जिसमें खनन संक्रियाएं की जाती हैं, के जिला खनिज संस्थान में निम्नलिखित दर पर रकम का संदाय करेगा—

(क) 12 जनवरी, 2015 को अथवा उसके पश्चात् प्रदान किया गया, यथास्थिति, खनन पट्टा अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा के संबंध में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की दूसरी अनुसूची के संबंध में संदाय किए गए स्वामिस्व का दस प्रतिशत; और

(ख) 12 जनवरी, 2015 से पहले प्रदान किए गए खनन पट्टों के संबंध में उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के संबंध में संदाय किए गए स्वामिस्व का तीस प्रतिशत। द्वितीय अनुसूची के अनुसार अदा की जाने वाली रॉयल्टी का तीस प्रतिशत

3. **किये जाने वाले अभिदाय की तारीख**.—नियम 2 में निर्धारित दर पर संगणित राशि का भुगतान जिला खनिज संस्थान की स्थापना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 9 (ख) (1) के अधीन जारी अधिसूचना की तारीख से अथवा इन नियमों के प्रवर्तन की तारीख से, इनमें से जो भी बाद में हो किया जाएगा।

[फा. सं. 11033/3/2015-सीए. II]

आर. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : प्रधान नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग- II- खंड – III, उप खंड (1) में दिनांक 17.09.2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 715(अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2015

G.S.R. 792(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (5) and (6) of Section 9B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules in r/o of coal and lignite and sand for stowing specifying the amount to be paid by holder of a mining lease or a prospecting licence-cum-mining lease, in addition to the royalty, to the District Mineral Foundation of the district established by the concerned State Government by notification, in which the mining operation are carried on, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called as the Mines and Minerals (Contribution to District Mineral Foundation) Rules,2015.

(2) These rules shall be deemed to have come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Amount of contribution to be made to District Mineral Foundation.—Every holder of a mining lease or a prospecting licence-cum-mining lease in respect of coal and lignite and sand for stowing shall, in addition to the royalty, pay to the District Mineral Foundation of the district in which the mining operation are carried on , an amount at the rate of:—

(a) ten per cent of the royalty paid in term of the second schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) (herein referred to as the said Act) in respect of mining lease or , as the case may be, prospecting licence-cum-mining lease granted on or after 12th January, 2015; and

(b) thirty per cent of the royalty paid in term of the Second Schedule to the said Act in respect of mining lease granted before 12th January, 2015.

3. **Date from which contribution to be made.—**The amount calculated at the rate prescribed in rule 2 shall be paid from the date of notification issued under Section 9 B (1) of the Act by the State Government establishing District Mineral Foundation or the date of coming into force of these rules, whichever is later.

[F. No. 11033/3/2015-CA-II]

R. P. GUPTA, Jt. Secy.

Note :- The Principal rule was published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II- Section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 715(E) dated 17.09.2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.